इकाई 11 विवाह संस्थान

इकाई की रूपरेखा

11.0 उद्देश्य

11.1 प्रस्तावना

11.2 परिवार और विवाह

11.3 सारांश

11.4 शब्दावली

11.5 बोध/अभ्यास प्रश्नोत्तर

11.6 कुछ उपयोगी पुस्तकें

11.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप –

- भारतीय परिवार के विषय में जान सकेंगे।
- विवाह संस्कार के विषय में ज्ञान होगा।
- चार प्रकार के श्रेष्ठ ब्राह्म, दैव, आर्ष और प्राजापत्य विवाहों के विषय में जान सकेंगे।
- चार प्रकार के निम्न आसुर, गान्धर्व, राक्षस एवं पैशाच विवाहों के विषय में जान सकेंगे।

11.1 प्रस्तावना

प्रस्तुत 10वीं इकाई में परिवार और विवाह के विषय में बताया गया है। भारतीय सामाजिक परम्परा में परिवार एवं संस्कारों का विशेष महत्व रहा है जिनमें 16 संस्कारों का उल्लेख मिलता है उनमें भी सबसे महत्वपूर्ण संस्कार विवाह संस्कार माना गया है। जो सम्पूर्ण जीवन भर निभाया जाता है और व्यक्ति को उसके वैयक्तिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का बोध कराता है। इस प्रकार से हम यहां विशेष रूप से विवाह संस्कार एवं तत्संबधी परिवार के विषय में जानेंगे।

11.2 परिवार और विवाह

भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही सोलह संस्कारों की परंपरा रही है जिनमें से एक विवाह संस्कार माना गया है यह सामाजिक उन्नत्ति के लिए परम आवश्यक माना गया है। एक ब्रह्मचारी के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम के पश्चात गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए धार्मिक कृत्यों से युक्त पाणी ग्रहण संस्कार अर्थात विवाह संस्कार का विधान बताया गया है। यह विवाह संस्कार जीवन के परम पुरुषार्थों के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। याज्ञवल्क्य स्मृति में विवाह को गृहस्थ जीवन का प्रवेश द्वार माना गया है।

मनुजास्तत्र जयन्तो यतो नागृहधर्मिणः तस्य कर्तुर्नियोगेन संसारो येन वर्धतः।।
(याज्ञवल्क्य 5/97)

विवाह केवल काम तृप्ति और यौन सुख मात्र नहीं है। विवाह परिवार के निर्माण का मूल और प्रधान आधार है। विवाह के पश्चात् व्यक्ति सामाजिक और पारिवारिक कर्तव्यों का वहन करता है। विवाह शब्द व्याकरणात्मक 'वि' उपसर्ग पूर्वक 'वह' धातु एवं घञ् प्रत्यय से बना है। अर्थात् जिसका विशिष्ट रूप से वहन किया जाए वह विवाह है। अमरकोश में विवाह के पर्याय रूप में परिणय एवं पाणिग्रहण शब्द का प्रयोग हुआ है। पाणिग्रहण अर्थात (हाथ का ग्रहण करना) पिता अपनी पुत्री का हाथ वर के हाथ में देता है और वर उसे प्रतिग्रहपूर्वक आत्मीयभाव से ग्रहण करता है।

विवाह के उद्देश्यों के विषय में मनुस्मृति में कहा गया है –

अपत्यं धर्मकार्याणि शुश्रूषा रतिरुत्तमा।
दाराधीनस्तथा स्वर्गः पितृणामात्मनश्च ह।। (मनुस्मृति 9/28)

अर्थात धार्मिक कृत्य, संतति प्राप्ति एवं रति का सुख यह विवाह के प्रधान उद्देश्य हैं।

धार्मिक कृत्य – धार्मिक कर्म एवं क्रियाओं को करने के लिए विवाह किया जाता है जिसके अनेक उल्लेख हमें भारतीय संस्कृति परम्परा में देखने को मिलते हैं। वैदिक संहिताओं में यज्ञादि कर्मकाण्ड को जीवन की पद्धत्ति से जोड़ा गया है। यह प्रत्येक मनुष्य को करना आवश्यक था और यज्ञादि कर्म करते समय विवाहिता पत्नी का अपने पति के साथ बैठना परम आवश्यक था। जिस यज्ञ अनुष्ठान में पत्नी की सहभागिता नहीं होती थी उसे अपूर्ण ही माना जाता था। उदाहरण के रूप में रामायण –

रामोपि कृत्वा सौवर्णी सीतां पत्नीं यशस्विनीम।
ईजे यज्ञैर्बहुविधैः सह भ्रातृभिरचितैः।। (गोभिल स्मृति 3/10)

रामायण में जब श्री राम अश्वमेध यज्ञ करते हैं उस समय तक सीता निर्वासित हो चुकी थी जिसके कारण यज्ञ करना संभव नहीं था इसलिए श्रीराम ने यज्ञ स्थल में सीता की स्वर्ण प्रतिमा को स्थापित किया तदोपरांत यज्ञ करना प्रारंभ हुआ। देव ऋण, पितृ ऋण तथा ऋषि ऋण आदि से उऋण होना और पंच महायज्ञ जो कि हमारे जीवन के दैनिक कर्त्तव्य धार्मिक कर्म माने जाते हैं वह भी विवाह करने से सिद्ध हो जाते हैं इस प्रकार से विवाह का पहला उद्देश्य धर्म पालन करना है।

पुत्रप्राप्ति – वंश वृद्धि एवं पुत्र प्राप्ति के लिए विवाह करना आवश्यक माना जाता था क्योंकि पुरुष जब तक पुत्र अर्थात प्रजा को उत्पन्न नहीं करता तब तक वह अपूर्ण माना जाता है। उदहारण रूप में शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है–

तस्माद्यावज्जायां न विन्दते,
नैव तावत् प्रजायतेसर्वोहि तावत्। (शतपथ ब्राह्मण 5/2/1/10)

अर्थात जब तक पुरुष पत्नी को प्राप्त नहीं करता, जब तक प्रजा उत्पन्न नहीं करता तब तक वह असर्व है अर्थात अपूर्ण है।

रति – काम प्रत्येक प्राणी की स्वाभाविक प्रकृति है और धर्म पूर्वक आचरण करते हुए रतिक्रीड़ा करना विवाह का एक निम्न उद्देश्य माना गया है ताकि मनुष्य अपनी सबल इन्द्रियों को वश में करके और रति के प्रति लालसा को संकुचित करके जीवन के

उद्देश्यों की पूर्ति करें। धर्मग्रन्थों एवं गृहसूत्रकारों ने वर्ण एवं नीति के अनुकूल समाज में प्रचलित विभिन्न प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया है जो कि आठ प्रकार के माने जाते हैं।

ब्राह्मो दैवस्तथैवार्षं प्राजापत्यस्तथासुरः।
गांधर्वराक्षसौ चान्यो पैशाचाष्टमो मतः।। (विष्णु पुराण 3/10/24)

ब्राह्म, प्राजापत्य, देव, आर्ष, गन्धर्व, आसुर, राक्षस और पैशाच ये विवाह के आठ प्रकार बताये गये हैं। इनमें प्रथम चार प्रकार के श्रेष्ठ और आदर्श माने गये हैं और अन्तिम चार प्रकार के निन्दित माने गये हैं।

ब्राह्म विवाह

आठ प्रकार के विवाहों में यह सर्वश्रेष्ठ एवं उच्च कोटि का विवाह माना गया है इस विवाह में पिता द्वारा अपनी कन्या को किसी शीलसंपन्न वर को आमन्त्रित कर उसका विधिवत सत्कार करके वस्त्रालंकार से विभूषित अपनी कन्या का विवाह करवाया जाता था। जिसके विषय में मनु ने भी कहा है कि –

आच्छाद्य चार्चयित्वा च श्रुतिशीलवते स्वयम।
आहूय दानं कन्याया ब्राह्मो धर्मः प्रकीर्तितः।। (मनु स्मृति – 3/27)

दैव विवाह

तत्कालीन समाज में दैव विवाह ब्राह्मणों में प्रचलित था वो इसलिए क्योंकि पिता अपनी कन्या के विवाह से पूर्व एक यज्ञ का आयोजन करता था उस यज्ञ को करने में जो ऋत्विज दक्ष होता था और विधिपूर्वक यजन कार्य करता था। ऐसे श्रेष्ठ ऋत्विज को कन्या का पिता अपनी पुत्री का कन्यादान करता था। स्मृतिकार मनु भी कहते हैं कि ज्योतिष्टोमादि यज्ञ में कन्या को ऋत्विज के लिए कन्यादान करना चाहिए। कहा है –

यज्ञे तु वितते सम्यग् ऋत्विजे कर्म कुर्वते।
आलंकृत्य सुतादानं दैवं धर्म प्रचक्षते।। (मनु स्मृति – 3/28)

वहीं आपस्तम्भ धर्मसूत्र में भी कहते हैं – दैवे यज्ञतन्त्र ऋत्विजे प्रतिपादयेत्। विशेष रूप से यह विवाह इसलिए किया जाता था ताकि जो ब्राह्मण कर्मकांड करने में निपुण हो एवं अपनी आजीविका चलाने में समर्थ हो ऐसे ब्राह्मण को पिता अपनी पुत्री का कन्यादान करने की इच्छा करता था। इस प्रकार के विवाह को विद्वानों ने श्रेष्ठ एवं देव विवाह कहा गया है।

आर्ष विवाह

आर्ष अर्थात ऋषि जब कन्या का पिता अपनी पुत्री का विवाह किसी ऋषि से करता था उस समय कन्या का पिता उस ऋषि से एक गाय और बैल या फिर दो गाय लेता था। यहां कन्या के बदले गायों का अथवा गायों के बदले कन्या का लेनदेन नहीं था यह गो मिथुन को देना ऋषि की अपनी इच्छा होती थी जो वह कन्या के पिता को स्वेच्छा से देता था। यह केवल धर्म मात्र के लिए था। जैमिनी ने भी इस कर्म को धर्म मात्र के लिए कहा है जैसे **"क्रयस्य धर्म मात्रत्वम् तथा शबर नामो क्रम इति"**। जैमिनि 6.1.15 । वही स्मृतिकार आचार्य मनु भी यही कहते हैं कि कन्या का पिता बर से यज्ञ आदि धर्म विहित कार्य को संपन्न करने के लिए एक अथवा दो गो मिथुन

प्राप्त करता था।

एकं गो मिथुनं द्वे वा वरादादाय धर्मतः।
कन्या प्रदानं विधिवदार्षो धर्मः स उच्यते।। (मनु स्मृति – 3/29)

प्राजापत्य विवाह

यह प्राजापत्य विवाह उस समय आठ प्रकार के विवाह विधियों में सबसे प्रचलित विधि थी। इसमें दोनों कुटुंब वर तथा वधू पक्ष से जो भी सम्मिलित होते थे वह मर्यादा पूर्वक यज्ञ–प्रजापति को सम्मुख कर संतानोत्पत्ति एवं उनके कुशल भरण पोषण के लिए तथा उनके उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने की शपथ लेते थे। इस विधि में पिता द्वारा वर की पूजा की जाती थी तत्पश्चात पिता द्वारा अपनी कन्या का दान किया जाता था और दोनों वर तथा वधू को गृहस्थ जीवन में धर्म आचरण का संकल्प कराया जाता था। प्राजापत्य विवाह में कन्या का पिता नवीन वस्त्र एवं आभूषणों के साथ अपनी कन्या का दान करता था।

सहोभौ चरतां धर्ममिति वाचानुभाष्य च।
कन्या प्रदानमभ्यर्च्य प्रजापत्यो विधिः स्मृतः। (मनु स्मृति – 3/30)

आसुर विवाह

आसुर विवाह के विषय में महाभारत में भी कहा गया है कि धन से कन्या को खरीदकर तथा कन्या के सभी सगे संबंधियों को धन का प्रलोभन देकर वर द्वारा जिस विवाह को किया जाता है ऐसा विवाह आसुर विवाह कहा जाता है (महाभारत 13.47.3) ऐसे अनेक विद्वानों का मानना भी है। आचार्य मनु भी यही कहते हैं –

ज्ञातिभ्यो द्रविणं दत्त्वा कन्यायै चौव शक्तितः।
कन्या प्रदानं स्वाच्छन्द्यादासुरो धर्म उच्यते।। (मनु स्मृति – 3/31)

और आचार्य याज्ञवल्क्य ने इस विवाह को कन्या की खरीद पर आधारित माना है –

"आसुरोद्रविणादानाद्" याज्ञल्क्य स्मृ० 1.61।

इस प्रकार के विवाह में धन की प्रधानता देखी जाती थी। इस विवाह में वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को कन्या का मूल्य धन के रूप में चुकाया जाता था।

गान्धर्व विवाह

बौधायन का मत है कि जब स्त्री एवं पुरुष प्रेमवश काम के वशीभूत होकर विवाह कर ले तो वह गांधर्व विवाह माना जाता है (सकामेन सकामायां मिथः संयोगो गन्धर्वः 11.6। यजुर्वेदीय तैत्तिरीय संहिता टस.1.6.5) गन्धर्व उस जाति को कहा जाता था जो पर्वतीय क्षेत्रों में नृत्यगीत में रत रहते थे और जिसमें विवाह स्त्री पुरुष के आपसी सहमति से होते थे। मनु ने गंधर्व विवाह को कामुकतावस वर एवं कन्या का संयोग ही माना।

इच्छया अन्योन्य संयोगः कन्यायाश्च वरस्य च।
गान्धर्वः स तु विज्ञेयो मैथुन्यः कामसम्भवः। (मनु स्मृ० 3.32)

अनेक विद्वानों की रचनाओं में इनके बहुलता से उद्धरण प्राप्त होते हैं जैसे कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम् में दुष्यंत एवं शकुंतला का विवाह भी गंधर्व विवाह हुआ था

(अभिज्ञान 3.22) वही (वायु पुराण 2.15) में पुररुवा एवं उर्वशी का प्रेम विख्यात है। वही भवभूति के मालतीमाधव में मालती एवं माधव के गंधर्व विवाह का विस्तृत वर्णन है। वात्स्यायन ने इसे सर्वश्रेष्ठ एवं सुखद विवाह माना "सुखत्वादबहुक्लेशादपि चावरणादिह। अअनुरागात्मत्वाच्च गान्धर्वः प्रवरो मतः।3.30 । वही बौधायन धर्मसूत्र 1–11.20.16 ने भी इसे श्रेष्ठ माना है। यह विवाह वर अथवा कन्या के स्वच्छंद चरित्र का द्योतक है इसलिए यह गंधर्व विवाह एक प्रेम विवाह या प्रणय विवाह माना गया है।

राक्षस विवाह

जिस विवाह में कन्या का बलपूर्वक अपहरण किया जाए ऐसा विवाह राक्षस विवाह की श्रेणी में आता है। कपट अथवा क्रूरता पूर्वक कन्या का अपहरण करना है राक्षस विवाह माना जाता है अथवा युद्ध एवं संघर्ष तथा शक्ति प्रदर्शन के द्वारा कन्या का अपहरण करना राक्षस विवाह माना जाता है। वही मनु ने इस विषय में कहा है कि कन्या पक्ष वालों को मार कर अथवा उनको घायल करके एवं गृह द्वार तोड़ कर रोती हुई कन्या का बलपूर्वक अपहरण करके लाना राक्षस विवाह कहा जाता है।

हत्वा छित्त्वा च भित्वा च क्रोशंतीं रुदतीं गृहात्।
प्रसह्य कन्या हरणं राक्षसो विधिरुच्यते।। (मनु स्मृ 3.33)

पैशाच विवाह

सभी आठ प्रकार के विवाह में पैशाच विवाह सबसे निकृष्ट माना गया है और निन्दनीय माना गया है। सोती हुई, उन्मत, मदिरापान की हुई अथवा मार्ग में जाती हुई कन्या को जब व्यक्ति काम युक्त होकर अपनाता है तो वह पैशाच विवाह कहलाता है। छल और कपट ये दोनो ही पैशाच विवाह के मूल आधार हैं। इस विषय में मनु ने कहा है –

सुप्तां मत्तां प्रमत्तां वा रहो यत्रोपगच्छति।
स पापिष्ठो विवाहानां पैशाचश्चाष्टमोअधमः। 3.34

ऐसा विवाह असभ्य एवं असंस्कृत माना गया है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति में आठ प्रकार के विवाह के विषय में उल्लेख प्राप्त होता है जिनमें प्रथम चार ब्राह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह एवं प्राजापत्य इन चारों को श्रेष्ठ और उत्तम विवाह माना गया है। वहीं गांधर्व, आसुर, राक्षस तथा पैशाच यह चारों विवाह धर्म शास्त्रों के अनुसार निकृष्ट माने गए हैं। हमेशा से ही विवाह का उद्देश्य धर्मानुकूल संतानोत्पत्ति एवं वंश परंपरा एवं कुल के वार्धिक्य के लिए रहा है।

11.3 सारांश

विवाह भारतीय समाज में महत्वपूर्ण संस्कार एवं धार्मिक कृत्य माना गया है जो कि गृहस्थ जीवन का प्रवेश द्वार कहा गया है। परिवार एवं वंश के वार्धिक्य के लिए विवाह आवश्यकता रहा इसलिए भारतीय समाज में श्रेष्ठ एवं निकृष्ट जो भी तत्कालीन परिस्थितियों में देखे गए मानवीय कृत्यों के आधार पर ऋषि महर्षियों ने आठ प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया है, जो कि आज भी समाज में हमें देखने को मिलता है। विवाह संस्कार पद्धति व्यक्ति के जीवन में स्थिरता लाने एवं उसके कर्तव्यों का बोध कराने तथा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के पश्चात उसके सामाजिक दायित्वों का बोध कराने के लिए विवाह संस्कार आवश्यक हो जाता है।

11.4 शब्दावली

आर्ष	–	ऋषि
गान्धर्व विवाह	–	प्रेम विवाह
प्रमत्ताम्	–	उन्मत्त
हत्वा	–	मारकर
छित्वा	–	घायलकर
भित्वा	–	तोड़कर
गो मिथुनं	–	गायों का जोड़ा
ऋत्विज	–	यज्ञ करने वाला याज्ञिक
सुतादानम्	–	कन्यादान/पुत्री का दान

11.5 बोध/अभ्यास प्रश्नोत्तर

1. विवाह कितने प्रकार के होते हैं?
   a. 1
   b. 8
   c. 4
2. गो मिथुन देना विवाह का कौन सा प्रकार है?
   a. दैव
   b. ब्राह्म
   c. आर्ष
3. विवाहों में कौन श्रेष्ठ विवाह है?
   a. प्राजापत्य
   b. पैशाच
   c. गांधर्व
4. धन देकर कौन सा विवाह किया जाता है?
   a. गांधर्व
   b. राक्षस
   c. आसुर

उत्तर –1 B, 2- C, 3- A, 4- C

11.6 कुछ उपयोगी पुस्तकें

- भारतीय संस्कृति – डॉ. प्रीतिप्रभा गोयल, राजस्थानी ग्रन्थागार, सोजती गेट जोधपुर।
- भारतीय संस्कृति – डॉ. उमाशंकर शर्मा 'ऋषि', चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी
- वैदिक साहित्य एवं संस्कृति – डॉ. कपिलदेव द्विवेदी, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY